(1)	(2)	(3)	(4)
8.	मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग.		20 अंक
		कुल	**200 अंक**

शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/एफ-1-15/07/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सेवा के संबंध" में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग" ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगी परीक्षा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति, विभागीय पदोन्नति समिति।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय–समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा / चयन से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) अनुसूची दो एवं तीन में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में नियुक्त सदस्यों के पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, धारण करते हों ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या (अनुसूची – एक में यथाविनिर्दिष्ट) कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाए ।

(5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश भी लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** – चयन हेतु परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी , अर्थात् :–

(1) **आयु** :– (क) उसने परीक्षा / चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी नही की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, परन्तु विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष अतिरिक्त छुट दी जायेगी ।

नोट :— किसी भी अभ्यर्थी को, जिन्हें एक आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट दिया जाता है, उन्हें तथापि शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

(ग) उन अभ्यर्थियों के सबध म जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यही रियायत कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण — शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अस्थाई सरकारी सेवा में कम से कम छह माह तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण — शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या

स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था :–

(1) ऐसा "भूतपूर्व सैनिक" जिसे सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हे –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के "भूतपूर्व सैनिक" ;

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(5) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक", जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;

(6) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहें ;

(7) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक", जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण, चिकित्सीय आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो।

(8) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु–सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति–पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार", "गुंडाधूर सम्मान", "महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव" सम्मान धारक अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा सम्मान धारकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियो के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के

अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय की जाएगी, किन्तु ऐसे मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी – ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों को लागू माना जायेगा ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**–अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शाये गये सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा।

9. **निरर्हता** – अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा** –
परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नही किया है, परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** – (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।
(2) आयोग द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुसार परीक्षा संचालित किया जायेगा, जो राज्य सरकार समय समय पर आयोग के परामर्श से जारी करें ।

(3) चयन द्वारा सीधी भर्ती – (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।
(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा किया जायेगा ।
(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम–12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों, को जिन्हें प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये चयनित किया गया हो, नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) (1) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु , उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों को पुनः विज्ञापित की जायेगी । यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् शेष पद नहीं भरे गये है तो उन रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जायेगा तथा पश्चातवर्ती चयन के दौरान अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या के समतुल्य, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जाएगा ।

परंतु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (रिक्तियों को अग्रणित करते हुए (कैरी फारवर्ड) सम्मिलित है) विज्ञापित कुल रिक्तियों के पैतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(2) **प्रतियोगी परीक्षा के लिए**– यदि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों, उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों को अन्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जा सकेगा तथा पश्चात्वर्ती चयन में अतिरिक्त रिक्तियों की संख्या के समतुल्य, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा ।

परंतु इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए (रिक्तियों को अग्रगणित करते हुए सम्मिलित है) कुल विज्ञापित रिक्तियों के पैतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नही होगी ।

(7) सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(8) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :– (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे । (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, उनके साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा किया जाएगा ।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :** – (1) आयोग उन अभ्यर्थियों की, योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि आयोग अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, सरकार को अग्रेषित करेगा । सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी की जाएगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हो ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक प्रदान नहीं करता जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे ।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तराल से अपनी बैठक करेगी ।

(3) ऐसे पदों हेतु पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के ऐसे अधिकारियों के लिये आरक्षित रहेगी जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र हो ।

(4) पदोन्नति किये जाने हेतु प्रक्रिया में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रिक्तियां आरक्षित की जायेगी ।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता की शर्तें** – (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर जिससे पदोन्नति की जानी है के पदों पर, (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर, जो अनुसूची चार के कालम (3) में उल्लेखित हो तथा उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

परंतु सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् अर्द्ध सेवा आयोग तथा आपात् आयोग के मुक्त अधिकारियों की सेवा उस दिनांक से गणना की जाएगी जिससे वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266–1987–I (8)–67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्ति किये गये है ।

परंतु और यह कि कनिष्ठ व्यक्ति इस नियम के अधीन सेवा की विहित कालावधि पूर्ण करने के आधार पर उसे वरिष्ठ व्यक्ति से श्रेणी/पदोन्नति चयन हेतु प्राथमिकता देने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(2) चयन के लिए विचारण क्षेत्र को सामान्यतः चयन सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में अधिकारियों की संख्या सात गुणा तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या पांच गुणा तक सीमित होगी ।

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित विचारण क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो, तो विचारण क्षेत्र उस सीमा तक विस्तारित किया जा सकेगा जैसा कि समिति द्वारा उसके लिए लिखित में कारण उल्लिखित करते हुए आवश्यक समझे ।

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना** – (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझे गये हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी। उपरोक्त कालावधि के दौरान उदभूत होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए आरक्षित सूची तैयार की जायेगी जिसमें उक्त सूची में व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्ति होंगे ।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने हेतु चयन, समस्त मामलों में वरिष्ठता का समुचित ध्यान रखते हुए योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी ।

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों का नाम, अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा या पदों में वरिष्ठता व क्रम में रखे जायेंगे ।

परंतु किसी कनिष्ठ अधिकारी जो समिति की राय में, असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u> – कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया है , केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य के आधार पर पश्चात्वर्ती चयन में उस पर विचार किया गया था, वरिष्ठता का दावा नही करेगा ।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि राज्य अधिनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाये, तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. **चयन सूची** :–

(1) उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए अनुसार, अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदो से, अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः उस समय तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि यह नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसे पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित नहीं किया जाता, किन्तु इसकी विधि मान्यता इसको तैयार किए जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के उपरांत बढ़ाई नहीं जायेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के अनुपालन में कोई गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे, तो चयन–सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति : —** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हो :

परंतु जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो वहां किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है तथा जिसका नाम चयन सूची के आगामी क्रम में भी नहीं है सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि रिक्तियां अंतिम तीन मास से अधिक के लिये संभाव्य नहीं है ।

(2) साधरणतः उस व्यक्ति की जिसकी नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तक प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त बनाती है ।

18. **परिवीक्षा** — सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा।

19. **निर्वचन** — यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** — इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की शक्ति को, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

(क) व्यावृत्ति — इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेंगी ।

21. **निरसन और व्यावृत्ति** — (क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा, निरसित किये जाते हैं, ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम 6 देखिये)

वर्गीकरण, सेवा में वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)
सिस्टम एनालिस्ट	1	राजपत्रित I	10000–15200
प्रोग्रामर	4	राजपत्रित II	8000–275–13500

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
				सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	सिस्टम एनालिस्ट	1	100 %	–
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	प्रोग्रामर	4	100 %	–

अनुसूची – तीन
(नियम–6 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	प्रोग्रामर	21	35 वर्ष	1. (क) बैचलर ऑफ इंजीनियरींग / बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी / बैचलर ऑफ साईस (इंजीनियरींग) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ख) मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन / मास्टर इन कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में मास्टर ऑफ साइंस / [illegible] प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणा (ग्रेड) सहित. अथवा (ग) बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन / बैचलर ऑफ कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ आर्ट एवं कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित । स्नातक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी सहित होना चाहिए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	सिस्टम एनालिस्ट	21	35 वर्ष	1. (क) बैचलर ऑफ इंजीनियरींग / बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी / बैचलर ऑफ साईंस (इंजीनियरींग) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ख) मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन / मास्टर इन कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में मास्टर ऑफ साइंस / मास्टर ऑफ आर्ट प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ग) बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन / बैचलर ऑफ कम्प्यूटर मैनेजमेंट / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक / (भौतिकशास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कंप्यूटर साइंस) में बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ आर्ट एवं कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित । स्नातक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी सहित होना चाहिए ।

अनुसूची – चार

(नियम –14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अनुभव	उस पद का नाम, जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	सहायक प्रोग्रामर	संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन सहायक प्रोग्रामर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.	प्रोग्रामर	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित आयोग का कोई सदस्य–अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव वित्त विभाग – सदस्य. 3. संचालक / अपर संचालक, कोष एवं लेखा – सदस्य 4. यदि उपर उल्लिखित समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो संचालक कोष एवं लेखा उपर उल्लिखित वर्गों के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम निर्देशित करेगा – सदस्य
	प्रोग्रामर	संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन प्रोग्रामर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो.	सिस्टम एनालिस्ट	